2021/57

फर्द अहकाम

सूरजी देवी बनाम राज0सरकार वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 31/2021 प्रा0पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31.5.2021	प्रार्थीया की ओर से यह पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री रविशंकर अग्रवाल के द्वारा पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस में सुना गया । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 154/5618, 165/5619, 193, 194, 198 199/5712 कुल किता 6 रकबा 1.28 है0 भूमि वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा में प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थिया के आराजी ख0नं0 198 से लगता हुआ पश्चिम की तरफ ख0नं0 199 व दक्षिण की तरफ ख0नं0 198/5711 तथा प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 154/5618 से दक्षिण की तरफ ख0नं0 154/5619 अप्रार्थीगण सं0 2लगा0 4की खातेदारी भूमि स्थित है। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कर जाहिर किया कि अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 7 प्रार्थीया की भूमि में जबरन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रखा है तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के द्वारा स्थायी व अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी पेश कर रखा है। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में जाहिर किया कि जब तक उक्त आराजी का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी नहीं हो जाती जब तक अप्रार्थीगण 2 लगा0 7 को निर्माण नहीं करने व मौका स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में दोनों पक्षकारान में सीमा का विवाद होना पाया जाता है, तथा सीमा विवाद को लेकर दोनों पक्षकाराने के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वर्तमान में विचाराधीन है फिर भी दोनों पक्ष अपनी अपनी सीमा को लेकर आपस में आये दिन झगझा फसाद करते रहते है जिससे अशांति तथा जान माल का खतरा भी बना होना पाया जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार शाहपुरा को ओदशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 154/5618, 165/5619, 193, 194, 198 199/5712 कुल किता 6 रकबा 1.28 है0 भूमि वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा का नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर उभय पक्षकारान व पडौसी खातेदारान की मौजूदगी मे सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें तथा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 154/5618, 165/5619, 193, 194, 198 199/5712 कुल किता 6 रकबा 1. 28 है0 व अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 4 की आराजी ख0नं0 199, 198/5711, 154/5619 वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा की भूमि के बाबत उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि जब तक तहसीलदार शाहपुरा उभय पक्ष की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं करे तब तक मौके पर उभय पक्ष कोई निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें । तदानुसार आदेश जारी हो । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान